

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव , छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग
अधिसूचना धारा 19 भू- अर्जन अधिनियम 2013

क्रमांक / 19 30 / भूअर्जन / कले. / 2016

नारायणपुर दिनांक 06-08-2016

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-


अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन :- कृषि भूमि
(क) जिला :- नारायणपुर
(ख) तहसील :- नारायणपुर
(ग) नगर/ग्राम :- नेलवाड़
(घ) लगभग क्षेत्रफल :- 3.89 है.

क्रमांक	खसरा नंबर	रकबा (हे.मे.)
1	2	3
1	23 / 1	0.62
2	27	2.02
3	28	1.25
योग:-	कुल खसरा नंबर:- 03	कुल रकबा :- 3.89

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण :- 220/132 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नारायणपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) उक्त भू-अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार


(दामनसिंह सोनवानी)
कलेक्टर एवं पदेन सचिव,
जिला नारायणपुर